सं. 1/4/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क - एफ)

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक 11 नवंबर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन - 2016 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों की नि:शक्तता पेंशन में संशोधन पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक 4.8.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (ii) द्वारा 2016 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों की नि:शक्तता पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 4.8.2016 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 के अनुसार, मौजूदा पेंशन/कुटुंब पेंशन को 2.57 से गुणा किया जाए और तदनुसार प्राप्त संशोधित पेंशन की धनराशि को अगले पूर्ण रुपए में परिवर्तित कर दिया जाए। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.4 में यह उल्लेख किया गया है कि पेंशन और कुटुंब पेंशन की अधिकतम सीमा क्रमश: सरकार में अधिकतम वेतन अर्थात् 2,50,000/- रुपए का 50% और 30% होगी।

2. यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या उक्त अधिकतम सीमा केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन पर भी लागू होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन गणना, अंतिम आहरित वेतन या पिछले 10 महीनों की औसत प्राप्तियों के क्रमश: 50% और 30% की दर से, जो भी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के लिए लाभदायक हो, के आधार पर की जाती है। नि:शक्तता घटक के कारण केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन, अंतिम आहरित वेतन या औसत प्राप्तियों के क्रमश: 50% और 30% से अधिक होती है। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 4.8.2016 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.4 में उल्लिखित पेंशन और कुटुंब पेंशन की अधिकतम सीमा, केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत पेंशन/कुटुंब पेंशन के मामले में लागू होगी, और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन के मामले में लागू नहीं होगी।

सु. चौधुरी
(सुजाशा चौधुरी)
निदेशक
दूरभाष: 24635979

सेवा में

मानक परिचालन सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।